17/3/21.

07 RA प्रा. पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अदालत द्वारा प्रा. पत्र ~~स्वीकार~~ स्वीकार कर बाद खारिज किया जाता है।

अदालत का मानना है कि प्रतिवादी द्वारा पेश की गई आपत्ति जायज है। वादी द्वारा विवादित आराजी - 16 B.L.D. के मु.न. 74/16 के किला न. 1 से 23 - पर अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर हक जताया जा रहा है। इस दस्तावेज को Execute करवाने का अधिकार सिविल न्यायालय

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

में निहित है, इस अदालत में नहीं।
इसलिए प्रतिवादी भंवरी और रतनी का प्रा. पत्र O7R11 CPC स्वीकार कर यह दावा, जो नानकराम द्वारा पेश किया गया था, खारिज किया जाता है

इस वाद से संबंधित प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 R.T.A (17/18) में जारी स्थगन आदेश को भी खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner